शोध मंथन Vol. XI No.II Apr.-June. 2020 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 7.760 (SJIF)

मुरादाबाद जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) पर शिक्षकों का दृष्टिकोण

डा0 अनुराग यादव
असिस्टेंट प्रोफेसर, बी0एड0 विभाग
अब्दुल रज्जाक पी0 जी0 कालिज
जोया, जनपद अमरोहा
Email: Anurag2010Y@gmail.com

डा0 अवनीश कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, भूगोल विभाग
हाशमी गर्ल्स पी0जी0 कालिज
अमरोहा

सारांश

*शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है । शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन करती है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यापक दृष्टि में शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु औपचारिक शिक्षा बालक को विद्यालयो सें प्राप्त होती है। प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो बालक को स्कूली शिक्षा से जोड़ने तथा पौष्टिक आहार प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र, **"मुरादाबाद जनपद में संचालित मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) पर शिक्षकों का दृष्टिकोण"** पर आधारित है। इस शोधपत्र में इस योजना पर शिक्षकों का दृष्टिकोण, योजना में आने वाली समस्याओं तथा किस प्रकार इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है, का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र अध्ययन में उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद जनपद के 8 विकास खंडों में संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 160 शिक्षकों को प्रतिदर्श के रूप में चुना गया है।*

प्रस्तावना

शिक्षा मानव जीवन का आधार है व्यक्ति का व्यक्तिगत और सामाजिक विकास शिक्षा के माध्यम से होता है। शिक्षा प्रदान करने का औपचारिक साधन विद्यालय है बालक की सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन भूखा और कुपोषित तथा विद्यालय आये बिना बालक सीख नही सकता, इन्ही समस्याओं को ध्यान रखते हुए 15 अगस्त 1995 को भारत ने लगभग 2408 पिछड़े. विकास खंडों के प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) कार्यक्रम लागू किया गया। इस कार्यक्रम को लागू करते समय इसका मुख्य उद्देश्य था–

1. बच्चों को अच्छा पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना तथा उन्हें कुपोषण से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से बचाना।

2. विद्यालय में बालकों के नामांकन व उपस्थिति को बढ़ाना।

प्रारंभिक चरण में इस योजना में प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बालकों को 80 प्रतिशत उपस्थिति पर प्रतिमाह 3 किलोग्राम गेहूं अथवा चावल दिए जाने की व्यवस्था की गई थी परंतु इस प्रकार दिए गए खाद्यान्न से बालकों को उचित पौष्टिक तत्व प्राप्त नहीं हो रहे थे और उनको दिए जाने वाला खाद्यान्न उनके परिवारों के अन्य सदस्यों के मध्य बट़ जाता था। वर्ष 2003 में इस योजना में शिक्षा गारंटी केंद्र तथा नवाचारी शिक्षा केंद्र में पढ़ने वाले बालको को भी शामिल कर लिया गया अप्रैल 2002 से इस योजना को सारे प्राथमिक विद्यालयों में लागू कर दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 28 नवंबर 2001 को दिए गए निर्देशो के अनुसार दिनांक 1 सितंबर 2004 से प्राथमिक विद्यालयों में पका पकाया भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई जिसमें बालकों को 300 ग्राम कैलोरी तथा 8–12 ग्राम प्रोटीन देने की व्यवस्था थी जून 2006 में योजना को संशोधित कर बालकों को 450 ग्राम कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन की व्यवस्था कर दी गई। अक्टूबर 2007 से इस योजना में देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3479 विकास खंडों के उच्च प्रथामिक विद्यालयो में पढ़ने वाले बालको को शामिल कर लिया गया । वर्ष 2008 में इस योजना को सभी विकास खण्डों व नगर क्षेत्र में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तारित कर दिया गया। 1 अप्रैल 2010 से इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के विद्यालयों को भी शामिल कर लिया गया। वर्तमान में यह योजना उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित है वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत एक छात्र को सप्ताह में 4 दिन चावल से बने भोज्य पदार्थ तथा 2 दिन गेहूं से बने भोज्य पदार्थ दिए जाने की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर 100 ग्राम एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 150 ग्राम प्रति बालक प्रति दिवस खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध कराए जा रहे भोजन में कम से कम 450 ग्राम कैलोरी ऊर्जा व 12 ग्राम प्रोटीन एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 700 ग्राम कैलोरी ऊर्जा व 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध होना आवश्यक है । वर्तमान में यह योजना में प्रदेश के 1,14,382 प्राथमिक विद्यालयों एवम 54,386 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लागू है तथा इससे प्राथमिक स्तर पर 123.75 लाख विद्यार्थी व उच्च प्राथमिक स्तर पर 57.05 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे है। मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) 10 लाख से अधिक स्कूलों में 120 लाख से अधिक छात्रों को भोजन प्रदान कर अपनी तरह का दुनिया का सबसे बडा कार्यक्रम बन गया है।

उद्देश्य

1. मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) पर शिक्षकों के दृष्टिकोण को जानना।
2. मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) में आने वाली समस्याओं के बारे में अध्ययन करना।
3. मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देना।

शोध समस्या का सीमांकन

प्रस्तुत शोध पत्र मुरादाबाद जनपद के 08 विकासखण्डों के 160 प्राथमिक विद्यालयों तक सीमित रहा है।

अध्ययन की विधिप्रस्तुत शोध पत्र में प्राथमिक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है । प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करने के लिए शोध की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

समष्टि एवम प्रतिदर्श प्रस्तुत शोध पत्र अध्ययन में मुरादाबाद जनपद के 08 विकास खंडों से प्रति विकासखंड 20 विद्यालयों से प्रति विद्यालय एक शिक्षक अर्थात 160 शिक्षकों को शामिल किया गया है। स्त्री तथा पुरुष दोनों लिंगों के शिक्षकों को प्रतिदर्श में शामिल किया गया है। विद्यालयों का चुनाव लॉटरी विधि से किया गया है।

शोध उपकरण शोधकर्ता ने शोध पत्र अध्ययन में आंकडे संग्रह के लिए एक प्रश्नावली का निर्माण किया है। प्रश्नावली के तीन भाग हैं। जिसके प्रथम भाग में शिक्षकों का परिचय, द्वितीय भाग में मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया गया है। जिनका उत्तर शिक्षक हाँ, नहीं, कभी – कभी में देते हैं। तृतीय भाग में शिक्षकों को मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) से संबंधित समस्याओं व सुझावों को लिखने का आग्रह किया गया है।

आंकड़ों का विश्लेषण व विवेचना

प्रश्नावली से प्राप्त आंकड़ों का अध्ययन करके आंकड़ों की विवेचना की गई है ।

मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) पर शिक्षकों का दृष्टिकोण

- 62 प्रतिशत शिक्षकों का मत है कि मध्याह्न भोजन योजना(मिड डे मील) के द्वारा बालकों को पौष्टिक और संतुलित आहार मिल रहा है और यह योजना उन्हें कुपोषण से होने वाली बीमारियों से बचाव में सहायता प्रदान करती है।
- 91.87 प्रतिशत शिक्षकों का मत है कि मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) ने विद्यालय शिक्षा में सकारात्मक परिवर्तन किए हैं। यह योजना बालकों के नामांकन और उनकी उपस्थिति में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है।
- 71.25 प्रतिशत शिक्षकों का मत है कि मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) से सामाजिक समरसता व जातिगत समानता में वृद्धि हुई है।
- 85.62 प्रतिशत शिक्षकों का मत है मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) के अंतर्गत छात्रों को दिए जाने वाला भोजन छात्रों द्वारा पसंद किया जाता है।
- 93.13 प्रतिशत शिक्षकों का मत है कि मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) कार्यक्रम में भोजन बनाते समय साफ – सफाई का ध्यान रखा जाता है।
- वंचित वर्ग और समाज से संबंधित छात्रों के शैक्षिक स्तर में सुधार के संबंध में किए गए प्रश्न का 41.87 प्रतिशत शिक्षकों ने समर्थन किया जबकि 49.37 प्रतिशत शिक्षकों का मत है कि इस योजना से इन वर्गों के बालकों के शैक्षिक स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है तथा 8.76 प्रतिशत शिक्षकों ने इस प्रश्न पर राय व्यक्त नहीं की।

- 83.75 प्रतिशत शिक्षकों का मत है कि मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) से विद्यालय के छात्रों के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है जबकि 16.25 प्रतिशत शिक्षकों का मत है कि छात्रों को कभी कभी स्वास्थ्य सम्वन्धी समस्याओं (पेट दर्द, उल्टी, दस्त आदि) का सामना करना पड़ा है।
- 69.37 प्रतिशत शिक्षकों का मत है कि मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) के अंतर्गत विद्यालयों को उपलब्ध कराई जाने वाली कच्ची सामग्री अच्छी गुणवत्ता की होती है जबकि 30.62 प्रतिशत शिक्षकों का मत है कि कच्ची सामग्री की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए।
- 96.87 प्रतिशत शिक्षकों का मत है कि मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) के माध्यम से छात्रों में अच्छी आदतों (साफ – सफाई अनुशासन आदि) के महत्व व उपयोगिता की समझ उत्पन्न होती है।
- 75.52 प्रतिशत शिक्षकों का मत है कि मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) के लिए सरकार द्वारा विद्यालयों को जो बजट व अनाज उपलब्ध कराया जाता है। वह समय से प्राप्त हो जाता है जबकि 24.37 प्रतिशत शिक्षकों का मत है कि इसमे कभी – कभी विलंब हो जाता है।

मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) में आने वाली समस्याएं

- शिक्षकों को मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) के अंतर्गत बनने वाले भोजन की व्यवस्था भी देखनी पड़ती है। जिससे उनका कभी – कभी काफी समय बर्बाद हो जाता है जिसके कारण वह कक्षा में कम समय दे पाते हैं ।
- मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) के अंतर्गत बनने वाले भोजन को बनाने वालों को उचित वेतन ना मिलने के कारण वह इस काम को पूरा मन लगाकर नहीं करते हैं। वह इसे बनाते समय साफ – सफाई पर भी उचित ध्यान नहीं देते।
- कभी कभी मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) के अंतर्गत सरकार से प्राप्त होने वाला खाद्यान्न अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता है।
- मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) में समुदाय तथा अभिभावकों की साझेदारी का कम होना।
- मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) में भोजन बनाते समय भोजन बनाने वालों को व भोजन करते समय छात्रों को कभी – कभी जातिगत भेदभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) में मिलने वाला बजट व खाद्यान्न कभी – कभी विद्यालयों को समय पर उपलब्ध नही हो पाता है।
- मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) का बजट इतना अधिक न होना कि तय मानकों के अनुसार बालकों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा सके।

सुझाव

- शिक्षकों को इस योजना की जिम्मेदारी जितनी जल्दी हो सके मुक्त किया जाये या विद्यालय में शिक्षकों की संख्या को बढ़ाया जाए जिससे शिक्षक अधिक से अधिक समय अपनी कक्षाओं को दे सके।
- मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) का बजट बढ़ाया जाए तथा सरकार द्वारा दिए जाने वाला बजट तथा खाद्यान्न समय पर विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाए।
- मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) के अंतर्गत छात्रों को उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन की स्वच्छता एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि पोषाहार छात्रों के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित हो।
- मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) कार्यक्रम में भोजन बनाने वालों के मानदेय को बढ़ाया जाना चाहिए जिससे उनका आर्थिक विकास हो सके और वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ओर अधिक ईमानदारी और निष्ठा से कर सकें।
- मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील (मिड डे मील) में समुदाय व अभिभावकों की भागीदारी को बढ़ाया जाए तथा इस योजना के सम्बंधित सामयिक जानकारी शिक्षकों तथा अन्य अधिकारियों के द्वारा उनको समय – समय पर प्रदान की जाए।
- शिक्षकों को मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) से संबंधित सामयिक जानकारी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा समय – समय पर सेमिनार, सम्मेलन तथा ट्रेडिंग की व्यवस्था की जाये।
- विद्यालयों में बालकों को पीने का शुद्ध पानी, भोजन पात्रों को धोने तथा शौचालय की उचित व्यवस्था की जाए।
- विद्यालयों में बालकों को दिए जाने वाले भोजन के मेन्यू में समय – समय पर परिवर्तित किया जाये तथा भोजन के साथ साथ छात्रों को कुछ ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध कराये जायें।
- विद्यालय में बालक के आने का उद्देश्य केवल भोजन करना ना हो इसके लिए विद्यालयों में पढ़ाई के लिए समय सारिणी का निर्माण किया जाए जिसके अनुसार बालकों की पढ़ाई करवाई जाए।

निष्कर्ष

मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) प्राथमिक विद्यालयों में सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे बच्चों के लिए यह बहुत ही अच्छी योजना है इस योजना के द्वारा प्राथमिक विद्यालय शिक्षा में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। विद्यालयों में बालकों के नामांकन और विद्यालयों में छात्रों की रुकने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है । छात्रों के शैक्षिक, सामाजिक व शारिरिक विकास में इस योजना का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) में भोजन की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ ही भविष्य में इस योजना को सरकार द्वारा चलाये रखे जाना चाहिए।

सन्दर्भ

1 लाल, रमन विहारी : *''शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त''* रस्तोगी पब्लिकेशन मेरठ, पृ0 **1**

2 कुशवाहा, मंजू सिंह : सतना जिले में शिक्षकों के दृष्टिकोण का स्वयं सहायता समूह द्वारा मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम के निष्पादन का एक समीक्षात्मक अध्ययन International Juarnal of Multidisciplinary EducationAnd Research , Volume 1,July 2016 , Page- **3-42**

3 रानी, आशा **:** *मध्याह्न भोजन योजना एक अवलोकन श्रृंखला:* एक शोधपरक वैचारिक पत्रिका, Volume 04, Issue 05 , January 2017

4 खान, इसरार मौ0 एवं राजकुमार : *मध्याह्न भोजन योजना का सूक्ष्म आयामी मूल्यांकन* (तहसील बीसलपुर जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के विशेष सन्दर्भ में) International Journal of Multidisciplinary Research And Development , Volume 03, August 2016, Page no- **384-389**

5 पाण्डेय वैजनाथः *पूर्ण साक्षात्कार के लिए वरदान,* मिड डे मील कार्यक्रम, कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली वर्ष 2007, अंक –11, पृ0 **13–14**

6 जिला सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद मुरादाबाद ।

7 https://www-upmdm-in

8. https://www-dristiias-com